समाहरणालय, समस्तीपुर

(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

पत्रांक......................., दिनांक............/............/2020

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर।
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर।
सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा–सह–जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्वास्थ्य एवं (यू०डी०आ०ई०डी०) ईंचार्ज, समस्तीपुर।
उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर।
जिला श्रम एवं रोजगार पदाधिकारी, समस्तीपुर।
जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना, समस्तीपुर।
जिला प्रोगग्रम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), समस्तीपुर।
जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, समस्तीपुर।

विषयः– कोविड 19 COVID-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांग समावेशी दिशानिर्देश के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों की शिकायतों के सुनवाई के लिए जिले के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक व प्रेस वार्ता के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन का कार्यालय का पत्रांक 995/आनिको दिनांक 02/07/2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक मे कहना है कि दिनांक 10/07/2020 को दरभंगा प्रमण्डल के संबंध में निर्धारित ऑनलाइन लोक अदालत ई–कोर्ट की पूर्व तैयारी हेतु जिले के क्षेत्रीय पदाधिकारीयों के साथ समीक्षात्मक बैठक व प्रेस वार्ता हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार के द्वारा समस्तीपुर जिले की यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नांकित हैः–

राज्य आयुक्त निःशक्तता की कार्यक्रम विवरणी

<table>
<tr><th>तिथि</th><th>आगमन/प्रस्थान/ समय सारणी</th><th>कार्यक्रम</th><th>बैठक/ प्रेस वार्ता का स्थान</th></tr>
<tr><td rowspan="2">06/07/2020
सोमवार</td><td rowspan="2">08:00 AM बजे समस्तीपुर के लिए प्रस्थान।</td><td>12:00 PM- 02:00 PM जिले के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक</td><td rowspan="2">जिला अतिथि गृह, समस्तीपुर।</td></tr>
<tr><td>03:30 PM बजे से प्रेस मीडिया के साथ प्रेस वार्ता</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">शाम 7:00 PM बजे समस्तीपुर जिला से पटना के लिए वापसी।</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा–80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से संबंधित मामलें मे समुचित पदाधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहन के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरुप शक्तिया प्रदान की गई है। साथ ही भारत सरकार द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सरंक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक 26/03/2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशो एवं इस संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र के अंतर्गत इस आपदा स्थिति मे दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौपा गया है।

विश्वासभाजन

ह०/–

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 339 दिनांक–04/07/2020

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई–सह–बुनियाद केन्द्र, सरायरंजन, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। बुनियाद केन्द्र के राकेश कुमार चौरसिया लेखापाल एवं रविन्द्र कुमार चौधरी, केस प्रबंधक को राज्य आयुक्त निःशक्तता के संपर्क पदाधिकारी के लिए प्रतिनियुक्त करेंगें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रेस वार्ता हेतु मीडिया को अपने स्तर से सूचित करेंगें तथा बैठक की तैयारी करेंगें।

प्रतिलिपिः– नजारत उप समाहर्त्ता समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। दिनांक 06/07/2020 को राज्य आयुक्त निःशक्तता के लिए जिला अतिथि गृह, का दो कमरा आरक्षित करेंगें।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। राज्य आयुक्त निःशक्तता के जिला में आगमन से लेकर प्रस्थान तक स्कार्ट उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

प्रतिलिपिः– राज्य आयुक्त निःशक्तता, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर।

Scanned with CamScanner